

**न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला —बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक—777/2012

संस्थित दिनांक—26.09.2012

फाइलिंग क.234503002072012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—गढ़ी,  
 तहसील—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

**विरुद्ध**

शंकरलाल गोंटिया पिता बाबूलाल उम्र—41 वर्ष, जाति कोल,  
 निवासी—काच घर नई बस्ती, ईसाई कब्रस्तान के बाजू में,  
 थाना घमापुर, जिला व तहसील जबलपुर म.प्र.

**हाल मुकाम—**उपस्वास्थ्य केन्द्र ग्राम पाण्डुतला  
 (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गढ़ी) थाना गढ़ी, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपी**

**// निर्णय //**

**(आज दिनांक—23/09/2015 को घोषित)**

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—14.08.2012 को दिन के समय 10:00 बजे थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम पाण्डुतला का सामानटोला में लोकमार्ग पर मोटरसाईकिल क्रमांक—एम.पी.50/बी.ए. 7861 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत बिलसाबाई को ठोस मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—14.08.2012 को फरियादी बिलसाबाई अपनी लड़की के गांव भाई—बहन नाला जाने के लिए घर से करीब 9:00 बजे सुबह निकली, जब वह ग्राम पाण्डुतला के सामानटोला के पास पहुंची और अपने साईड से जा रही थी कि तभी परसामउ तरफ से एक मोटरसाईकिल को उसके चालक द्वारा बहुत तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए आया और उसके दाहिने पैर की पिण्डली में ठोस मारा, जिससे वह गिर गई। उक्त मोटरसाईकिल को पाण्डुतला अस्पताल का डॉ. शंकरलाल चला रहा था, जिसके पीछे पाण्डुतला

आंगनवाड़ी की मैडम कमलाबाई बैठी थी। उक्त घटना को चमरुसिंह गोंड व विक्रम ने देखा है। आरोपी डॉक्टर द्वारा उसका ईलाज कराने कहा गया था, किन्तु उसका ईलाज नहीं किया गया। उसका नाती दिलीप उसे मोटरसाईकिल से घर ले गया। उसका लड़का प्रेमलाल कमाने-खाने के लिए बाहर गया था, इसलिए घटना की रिपोर्ट करने नहीं गई थी तथा उसके लड़के के आने के बाद उसने दिनांक-25.08.2012 को जाकर पुलिस थाना गढ़ी में वाहन चालक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस थाना गढ़ी के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-49/2012, धारा-279, 337 भा.द. वि. एवं धारा-184 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस ने आहत का चिकित्सीय परीक्षण करवाकर विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया, जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहत बिलसाबाई की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-14.08.2012 को दिन के समय 10:00 बजे थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम पाण्डुतला का सामानटोला में लोकमार्ग पर मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी.50/बी.ए. 7861 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी ने उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत बिलसाबाई को ठोस मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?

**विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-**

5— प्रेमलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आहत बिलसाबाई उसकी माँ है। बिलसाबाई मृत हो चुकी है। घटना एक वर्ष पहले की है। उसे जानकारी मिली थी कि बिलसाबाई की मोटरसाइकिल से दुर्घटना हो गई है। वह आरोपी शंकरलाल को जानता है। बिलसाबाई की दुर्घटना शंकरलाल की मोटरसाइकिल से हो गई थी। उसे बिलसाबाई ने बताई थी कि वह रोड के किनारे से जा रही थी तो आरोपी ने मोटरसाइकिल लाकर उसे ठोस मार दिया था, जिससे उसका पैर टूट गया था। उसने बिलसाबाई के साथ जाकर थाना गढ़ी में रिपोर्ट की थी। बिलसाबाई का ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उक्त घटना उसके सामने नहीं हुई थी और उसे दुर्घटना की बात रज्जोबाई ने बताई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-1 में मोटरसाइकिल का नंबर नहीं बताया गया, किन्तु उक्त बात लिखी हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में केवल इस तथ्य की पुष्टि की है कि उसकी माँ बिलसाबाई का पैर दुर्घटना के कारण टूट गया था।

6— कमलाबाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानती है। घटना लगभग एक वर्ष के अन्दर की सुबह 10:00 बजे की है। घटना दिनांक को वह अपने घर पाण्डुतला से आंगनबाड़ी केन्द्र जा रही थी तथा आरोपी उसके आंगनबाड़ी केन्द्र में टीकाकरण हेतु जा रहा था, तो वह उसकी मोटरसाइकिल में उसके कहने पर बैठ गई थी, तभी एक महिला जो उनकी मोटरसाइकिल के आगे जा रही जो शराब पीए हुई थी और बुजुर्ग थी। आरोपी द्वारा हॉर्न बजाए जाने पर उक्त बुजुर्ग महिला गिट्टी के ढेर पर गिर गई थी। पुलिस ने उसके घर पर जाकर पूछताछ कर बयान लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी ने मोटरसाइकिल को लापरवाही से चलाकर आहत महिला को ठोस मार दिया था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-2 से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटना आरोपी की लापरवाही से नहीं हुई थी और न ही आरोपी ने आहत को ठोस मारा था। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन मामलों को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

7— चमरूलाल (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी एवं आहत को पहचानता है। आहत बिलसाबाई की मृत्यु हो चुकी है। घटना वर्ष 2012 की जून माह की दिन के करीब 10-11 बजे की है। उक्त घटना दिनांक को वह पाण्डुतला जाने वाली रोड पर बैठा था। घटना दिनांक को बिलसाबाई रोड के बीच से ग्राम पाण्डुतला की ओर जा रही थी, तभी आरोपी मोटरसाईकिल से हॉर्न बजाते हुए पाण्डुतला की ओर आ रहा था, उसी समय बिलसाबाई गलत साईड में हट गई थी, जिससे गाड़ी से पीछे टक्कर लगी। टक्कर लगने से बिलसाबाई गिर गई थी। फिर उन लोगों ने उठाकर उसे साईड में लाए थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी ने मोटरसाईकिल को तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाकर बिलसाबाई को टक्कर मारी थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही से हुई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया है।

8— विक्रम (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी एवं आहत बिलसाबाई को जानता है। घटना लगभग दो साल पूर्व की दिन के 10-11 बजे की है। घटना दिनांक को बिलसाबाई गलत साईड से ग्राम पाण्डुतला की ओर जा रही थी, तभी पीछे से आरोपी ने अपनी मोटरसाईकिल को लाकर बिलसाबाई को थोड़ी टक्कर मार दी थी, जिससे बिलसाबाई गिर गई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी ने घटना के समय मोटरसाईकिल को तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए बिलसाबाई को टक्कर मार दिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था। साक्षी का स्वतः कथन है कि आहत को गिरने के बाद देखा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना के समय आरोपी अपनी मोटरसाईकिल को सावधानीपूर्वक चला रहा था। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन मामलों को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता।

9— दिलीप कुमार (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी एवं आहत बिलसाबाई को जानता है। घटना करीब दो साल पुरानी है। सुबह 10-11 बजे ग्राम पाण्डुतला के पास सामानटोला के पास रोड एक्सीडेंट में बिलसाबाई



का एक्सीडेंट हो गया था। उक्त दुर्घटना आरोपी शंकर की मोटरसाईकिल से हो गई थी। उसने घटना होते हुए नहीं देखा। उसे घटना की जानकारी सामनटोला के निवासी ने आकर बताया था कि उसकी दादी बिलसाबाई का एक्सीडेंट हो गया है। उक्त सूचना पर वह मौके पर गया था और उसके बाद अस्पताल गया था। उक्त दुर्घटना में बिलसाबाई के पैर में चोट आई थी। उसे बाद में पता लगा कि आरोपी की मोटरसाईकिल से बिलासाबाई का एक्सीडेंट हो गया था। उसे जानकारी नहीं है कि आरोपी मोटरसाईकिल को कैसे चला रहा था। उक्त दुर्घटना में बिलसाबाई का पैर फ्रेक्चर हो गया था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस को गाड़ी नंबर नहीं बताया था और न ही कोई बयान दिया था। इस प्रकार साक्षी के द्वारा घटना न देखे जाने और अन्य व्यक्ति से घटना की जानकारी होने के आधार पर साक्ष्य में कथन किये हैं, जिससे अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण समर्थन नहीं होता।

10— छोटेलाल (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी एवं आहत बिलसाबाई को पहचानता है। घटना दो साल पहले की सुबह करीब 9:30 बजे की है। घटना दिनांक को बिलसाबाई अपने घर ग्राम हट्टा से पाण्डुतला की ओर अपने साईड से जा रही थी, तभी पीछे से एक मोटरसाईकिल आई और बिलसाबाई को टक्कर मार दी, जिससे बिलसाबाई गिर गई। उक्त मोटरसाईकिल को आरोपी शंकरलाल चला रहा था। दुर्घटना में बिलसाबाई को पैर में चोट आई थी। आरोपी उस समय घटनास्थल से चला गया था और यह कहकर गया था कि वापसी में बिलसाबाई का ईलाज करा देगा। आहत बिलासा बाई की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही से नहीं हुई थी तथा उसकी मोटरसाईकिल तेज गति से नहीं चल रही थी। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन मामलों को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता।

11— डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा.8) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-25.08.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना गढ़ी के आरक्षक चैनलाल क्रमांक-490 द्वारा आहत बिलसाबाई पत्नी स्व. अनूपलाल यादव, उम्र-77 वर्ष, निवासी-हट्टा को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया। जिसका परीक्षण करने पर उसने एक पुरानी चोट पाया था, जिस घाव में उसने मवाद देखा था, जो कि एंकल ज्वाईट तक फैला हुआ था, जिसमें

उसे अस्थिभंग के लक्षण दिखाई दे रहे थे। उक्त चोट दाहिने पैर के सामने भाग पर पाया था। आहत की सामान्य दशा वृद्धा अवस्था की थी तथा उसका हृदयतंत्र एवं श्वसनतंत्र नियमित रूप से चल रहे थे। साक्षी के अभिमतानुसार आहत को एक्सरे की सलाह दी गई थी एवं आर्बजेशन हेतु भर्ती कर ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास रेफर किया गया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत बिलसाबाई के बालाघाट न जाने पर उसके द्वारा एक्सरे कराया गया। जिसकी एक्सरे प्लेट नंबर-450 है, जो आर्टिकल ए-1 है, उक्त एक्सरे प्लेट के परीक्षण पर उसने आहत के दाहिने पैर की फीबिया एंड फीबुला के पास अस्थिभंग होना पाया था। उसकी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत दिनांक-25.08.12 से दिनांक-31.08.12 तक भर्ती रहा, जिसकी बेड हेड टिकट प्रदर्श पी-7 है, जो तीन पृष्ठ में है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि आहत को आई अस्थिभंग की चोट पुरानी होने के कारण वह स्पष्ट अभिमत नहीं दे सकता कि चोट गिरने से या किसी वस्तु से टकराने से आई थी। साक्षी ने आहत को उसके परीक्षण के समय अस्थिभंग होने से उसे घोर उपहति कारित होने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है।

12— अवतार ठाकरे (अ.सा.7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि उसे मोटरसाईकिल रिपेयरिंग करने का लगभग 20 वर्ष से अनुभव है। उसके द्वारा दिनांक-31.08.2012 को मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-50/बी.ए. 7861 का मैकेनिकल परीक्षण किया गया था, जिसमें उसने मोटरसाईकिल चालू हालत में होना पाया था, जिसके सभी पार्ट्स ठीक से कार्य कर रहे थे। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13— अनुसंधानकर्ता जी.एल. चौधरी (अ.सा.9) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-25.08.12 को थाना गढ़ी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना गढ़ी में पदस्थ गोहनलाल छिपेश्वर क्रमांक-452, प्रधान आरक्षक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 लेख की थी, जिस पर गोहनलाल छिपेश्वर के हस्ताक्षर हैं, जिसके साथ कार्य करने के कारण वह उसके हस्ताक्षर पहचानता है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपी शंकरलाल के विरुद्ध अपराध क्रमांक-49/12, धारा-279, 337 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। गोहनलाल छिपेश्वर ने आहत बिलसाबाई को आई चोट का परीक्षण हेतु सामुदायिक

स्वास्थ्य केन्द्र मुलाहिजा फार्म भरकर भेजा था। उक्त डायरी विवेचना में प्राप्त होने पर उसके द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी-1, चमरुसिंह की निशानदेही पर तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी से एक मोटरसाईकल मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-9 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसके द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-10 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसके द्वारा दिनांक-25.08.12 को चमरुसिंह मरावी, कमलाबाई, छोटेलाल के बयान लिखे गए थे। दिनांक-26.08.12 को बिलसाबाई और प्रेमलाल के बयान लेखबद्ध किये गए थे। दिनांक-03.09.12 को विक्रमसिंह एवं दिनांक-10.09.12 को दिलीप कुमार के बयान लेखबद्ध किया था।

14— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने अनुसंधान कार्यवाही के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

15— प्रकरण में प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षीगण में से अधिकांश साक्षीगण ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना के समय मोटरसाईकिल दुर्घटना में आहत बिलसाबाई को अस्थिभंग होने से घोर उपहति कारित हुई थी। जिन साक्षीगण ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में घटना घटित होते हुए देखी है, उन्होंने अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि घटना के समय आरोपी मोटरसाईकिल को उतावलेपन या उपेक्षा से नहीं चला रहा था, बल्कि सावधानीपूर्वक चला रहा था। ऐसी दशा में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि घटना के समय आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चालन किया जा रहा था या इस कारण आहत बिलसाबाई को घोर उपहति कारित हुई थी। इस कारण आरोपी के विरुद्ध अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है।

16— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी.50/बी.ए. 7861 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत

बिलसाबाई को ठोस मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

17— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किया जाता है।

18— प्रकरण में आरोपी अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

19— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी.50/बी.ए. 7861 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार शंकरलाल गौठिया पिता बाबुलाल गौठिया, जाति कौल, निवासी गढ़ी, थाना गढ़ी, तहसील बैहर जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट